

N/21-1077

क्र	जिले का नाम	माह जुलाई कार्यरत अतिथि शिक्षक संख्या	पोर्टल 3.0 पर उपलब्ध डेटा के अनुसार अतिथि शिक्षक जिनका 20 दिवस से अधिक का मानदेय लंबित है	माह अगस्त कार्यरत अतिथि शिक्षक संख्या	पोर्टल 3.0 पर उपलब्ध डेटा के अनुसार अतिथि शिक्षक जिनका 20 दिवस से अधिक का मानदेय लंबित है
1	Agar Malwa	698	4	766	27
2	Alirajpur	21	0	32	0
3	Anuppur	22	14	34	19
4	Ashoknagar	1255	19	1362	29
5	Balaghat	1096	10	1226	26
6	Barwani	24	0	32	1
7	Betul	692	7	813	20
8	Bhind	1607	45	1754	103
9	Bhopal	700	10	795	29
10	Burhanpur	467	4	531	12
11	Chhatarpur	3032	25	3372	61
12	Chhindwara	1186	11	1321	33
13	Damoh	1873	24	2061	35
14	Datia	671	5	754	27
15	Dewas	1895	19	2099	35
16	Dhar	294	4	363	13
17	Dindori	38	29	57	22
18	Guna	1378	15	1510	39
19	Gwalior	879	16	968	39
20	Harda	974	18	1096	39
21	Indore	713	11	887	32
22	Jabalpur	1652	26	1914	74
23	Jhabua	33	0	39	1
24	Katni	2415	93	2656	137
25	Khandwa	1467	13	1687	30
26	Khargone	531	4	619	19
27	Maihar	1223	12	1345	39
28	Mandla	58	0	78	1
29	Mandsaur	1233	16	1376	29
30	Mauganj	1380	17	1475	44
31	Morena	1130	46	1239	107
32	Narmadapuram	1106	21	1239	59
33	Narsinghpur	1411	7	1558	24
34	Neemuch	792	11	888	13

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1)
मंत्रालय, भोपाल

35	Niwari	575	11	619	13
36	Pandhurna	573	2	615	7
37	Panna	2183	22	2350	40
38	Raisen	1838	18	2007	55
39	Rajgarh	1717	31	1927	85
40	Ratlam	921	8	1057	24
41	Rewa	1477	17	1640	45
42	Sagar	2889	44	3176	72
43	Satna	1912	11	2100	37
44	Sehore	2041	19	2247	76
45	Seoni	615	6	711	15
46	Shahdol	405	9	488	18
47	Shajapur	1095	13	1247	26
48	Sheopur	678	14	748	46
49	Shivpuri	2815	73	3110	142
50	Sidhi	1997	21	2220	59
51	Singrauli	2913	28	3198	78
52	Tikamgarh	1972	24	2141	57
53	Ujjain	1551	16	1767	34
54	Umaria	925	8	1033	11
55	Vidisha	2584	34	2810	53
Grand Total		67622	985	75157	2211

शेष के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अनुमान अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1)
मंत्रालय, भोपाल

21/5

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गोताग नगर भोपाल-462023

क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2025-26/388
प्रति

भोपाल, दिनांक 17-10-2025

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक म.प्र.।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषय-अतिथि शिक्षक मानदेय भुगतान विषयक।
संदर्भ-1, संचालनालय का पत्र क्र/217 दिनांक 15.07.2025।

उपरोक्त संदर्भित पत्र में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों का मानदेय हमारे शिक्षक एप्प के माध्यम से ई-उपस्थिति के आधार पर करने के निर्देश दिये गये थे। इस आधार पर मानदेय दिया गया है। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर जानकारी के अभाव एवं ई-अटेंडेंस का प्रारंभिक चरण होने के कारण कतिपय अतिथि शिक्षक माह जुलाई एवं अगस्त 2025 में कुछ दिवस की ई-अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं।

प्रशासकीय आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि जुलाई एवं अगस्त माह में ऐसे अतिथि शिक्षक जो किसी कारणवश किसी दिवस की ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं कर सके हैं, तो उनके लिए शाला प्रभारी संबंधित अतिथि शिक्षक की शाला में उपस्थिति पंजी के आधार पर, सत्यापित उपस्थिति पंजी की प्रति पोर्टल 3.0 पर अपलोड करते हुए उन दिवसों की प्रविष्टि पोर्टल 3.0 पर करेंगे। तदुपरांत इन दिवसों का मानदेय देयक पोर्टल से जनरेट हो सकेगा।

सितम्बर से ई-अटेंडेंस के संबंध में संचालनालय के पत्र क्रमांक 199 दिनांक 26.06.2025 एवं पत्र क्रमांक 217 दिनांक 15.07.2025 का कंड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। शाला प्रभारी, संकुल प्राचार्य एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर संलग्न मैन्युअल के अनुसार कार्यवाही करें।

ई-अटेंडेंस की कार्यवाही प्रारंभिक चरण में होने के कारण उपरोक्तानुसार दी गई शिथिलता को भविष्य के लिए उदाहरण नहीं माना जायेगा।

(प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार)

(के.के.द्विवेदी)
संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 17.10.2025

पृ. क्र./अतिथि शिक्षक/2025-26/389

प्रतिलिपि:-

- 1-विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
- 2-सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
- 3-संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
- 4-कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
- 5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
- 6-समस्त शाला प्रभारी (शासकीय विद्यालय) स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7-Nicsi भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं समयसीमा में पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1)
मंत्रालय, भोपाल

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश